



प्रेस नोट / सराहनीय कार्य

(पत्रांक-16/2023 दिनांक 16.01.2023)

दिनांक- 16.01.2023 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

देश के विभिन्न एयरपोर्ट में ग्राउण्ड स्टॉफ व स्टॉफ सर्विसेज में नौकरी दिलवाने के नाम पर बेरोजगार नवयुवको से धोखा-धडी व फर्जीवाडा कर उनसे धन अर्जित करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, पीड़ितों के 03 लाख रुपये नगद, 02 चार पहिया वाहन, 43 फर्जी मोहर, 07 एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेक आदि भारी मात्रा में अवैध सामान बरामद, 4 शातिर साईबर ठग गिरफ्तार-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी सदर श्री उमेश चन्द्र भट्ट के नेतृत्व में साईबर अपराधों के विरुद्ध एवं साईबर अपराध की घटना का अनावरण तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 16.01.23 को प्रभारी निरीक्षक श्री राज प्रकाश सिंह थाना कोतवाली पडरौना व निरीक्षक श्री मनोज कुमार पंत प्रभारी साईबर सेल व प्रभारी निरीक्षक श्री अमित कुमार शर्मा थाना खड्डा मय टीम के संयुक्त प्रयास द्वारा भिन्न-भिन्न जगहों से मु0अ0सं0 707/22 धारा 406,,420,506,467, 468, 471,120 बी , भादवि व 66 C , 66D IT ACTकी थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर का सफल अनावरण करते हुए 4 नफर शातिर साईबर अपराधी गिरफ्तार व बरामदगी कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त गिरोह अन्तर्राज्यीय स्तर फर्जीवाडा कर बेरोजगार नौयुवकों के भविष्य खेलवाड कर अवैध रुप से धन अर्जित करते हैं।

अपराध का तरीका-

गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि हम लोग फिलिप कैजन प्रईवेट लिमिटेड ट्रेनिंग सेण्टर की आड़ में बेरोजगार नव युवको को एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने के नाम पर पर प्रति व्यक्ति लगभग 2.50 लाख रूपये लेते है जिसमें अभियुक्त शमशाद के कालेज जाकीर अली इण्टरमीडिएट कालेज फर्जी ट्रेनिंग सेन्टर बनाकर ढोंग करते है। इन लोगो का गिरोह इस फर्जीवाडा के लोगो के साथ धन्धे में मिलकर काम करते है तथा बेरोजगार नवयुवको को एयरपोर्ट में सर्विस दिलाने का झांसा देकर राव एम.आर.आई.एण्ड इमेजिंग सेण्टर डा0 के.एम. राव एमडी(आरडी) केजीएमसी छात्र संघ चौराहा कसया रोड गोरखपुर में फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाता है ताकि नवयुवको का विश्वास बना रहे इसके एवज में पर कण्डिडेट डाक्टरी कराने के नाम पर प्रति व्यक्ति से 10,000 रूपया फर्जी तरीके से ले लेता है तथा अभियुक्त सतीशचन्द्र पाल ग्राम गुलेलहा के भूतपूर्व प्रधान हैं जो जिले में भिन्न-भिन्न जगहो से बेरोजगार नवयुवको का पता करके तथा उनका ग्रुप बनाकर ओवैदुल्लाह उर्फ जानू पुत्र अमीरुल्लाह निवासी धनौजी खुर्द थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर बरामद लैपटाप की सहायता से ऑनलाईन फिलिप काइजेन प्राईवेट लिमिटेड नाम से जो ग्रुप



चलाता है इसी ग्रुप में हम लोग बेरोजगार नवयुवको को जोड़ते हैं तथा सुमन मण्डल व ओबैदुल्लाह उपरोक्त के द्वारा नौकरी के सम्बन्ध में नवयुवको को भ्रमित कर व उकसाकर एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने हेतु उकसाते हैं ये लोग गैंग के अन्य लोग भी इस ग्रुप से जुड़े हैं। इसी ग्रुप में ओबैदुल्लाह और शमशाद और सुमन मण्डल वाईस, एसएमएस से झूठा भरोसा दिलाकर नव युवको को नौकरी के लिए आकर्षित करते हैं तथा कसया रामकोला स्थित अशरफ अन्सारी पुत्र सहाबुद्दीन अंसारी जिनकी मदीना ज्वैलर्स के बगल में जूते चप्पल की दुकान है के मकान में फर्जी ट्रेनिंग का ढोंग करते हुए नवयुवको को झूठा झांसा देते हैं झूठे झांसे से मनोवैज्ञानिक ढंग से उनसे अबैध धन कमाने की नियत से उन्हें पर प्रति कण्डिडेट 2.50 लाख रूपया एक मुश्त जिसमें कुछ पैसा ऑनलाईन ट्रान्जेक्सन व नकद लेकर बरामद लैपटाप व प्रिंटर की सहायता से फोटो एडिटर व कोरल ड्रा साफ्टवेयर की मदद से **स्पाईजेट एयरलाईस, इण्डिगो एयरलाईन्स व एयर इण्डिया के ऑफर लेटर को हैक कर इडिट कर** तथा उनको मैनुअली निकालकर बरामद फर्जी मुहरो का इस्तेमाल कर तथा एयरलाईन्स के अधिकारियों की मुहर पर मूल फर्जी साईन कर नियुक्त पत्र/ आफर लेटर दे देते हैं। इस एवज में उनसे उपरोक्त 2.50 लाख से तीन लाख तक पैसा ऐठ लेते हैं। बाद में जब बरोजगार नवयुवको पता लगता है कि ये कूटरचित दस्तावेज है तो ये लोग उनको जान से मारने की धमकी से डराकर भगा देते हैं। तथा ट्रेनिंग सेण्टर की जगह को भी बदल देते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

- 1-शमशाद अन्सारी पुत्र जाकिर अली निवासी पिपराजटामपुर खुशीपट्टी थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
- 2-राहुल कुमार भारती उर्फ जुगनु पुत्र सतीश चन्द्र पाल साकिन गुलेलहा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
- 3-सतीशचन्द्र पाल पुत्र सुखराज प्रसाद निवासी गुलेलहा थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
- 4-शोएब अख्तर पुत्र शमशाद अली निवासी पिपराजटामपुर खुशीपट्टी थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

आपराधिक इतिहास:-

1-मु0अ0सं0 707/22 धारा 406,420,506,467, 468, 471,120 बी , भादवि व 66 C , 66D IT ACT थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर

***बरामदगी का विवरण: – ***

1. 43 अदद फर्जी मोहरें
2. 7 अदद एटीएम कार्ड
3. एक अदद जिओ वाई फाई
4. एक अदद ब्लूटूथ माउस
5. एक अदद बैंक पासबुक व दो अदद चेक बुक
6. एक अदद प्रोजेक्टर/LED स्पीडकान 124 CM
7. दो अदद साउण्ड बाक्स
8. एक अदद लैपटाप ASUS कम्पनी बरंग काला
- 9 7 अदद मोबाईल फोन भिन्न-भिन्न कम्पनी मल्टीमीडिया
10. एक अदद प्रिन्टर ईपसन L3150 बरंग काला
11. 13 अदद कूटरचित फिलिप कार्डजेन प्रा0लि0 ट्रेनिंग फार्म
12. 25 अदद कूटरचित फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट

13. 38 अदद फर्जी कूटरचित आफर लेटर
14. कूटरचित 36 अदद फिलिप कार्डजेन प्रा0लि0 मय रिज्यूम मय फोटो सहित फार्म बरामद
15. अपराध में प्रयुक्त चार पहिया वैगनार कम्पनी की रंग सफेद रजिस्ट्रेशन नं0 UP 57 AR 2948
16. अपराध मे प्रयुक्त चार पहिया वाहन मारूती सुजुकी स्वीफ्ट कम्पनी की रंग .सफेद रजिस्ट्रेशन नं0 UP 57 BC 9504
17. बजाज प्लेटिना रजि नं0 UP 57 AU 4483 रंग सफेद काला
18. पीड़ितों को देश भिन्न-भिन्न एयरपोर्ट में ग्राउण्ड स्टाफ व सर्विसेज के नाम पर धोखाधड़ी व फर्जीवाड़ा दिखाकर उनसे लिये गये रूपया 3,00,000 (तीन लाख) नगद

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्र0नि0 श्री राजप्रकाश सिंह थाना को0 पडरौना कुशीनगर
2. निरीक्षक श्री मनोज कुमार पंत प्रभारी साईबर सेल जनपद कुशीनगर
3. प्र0नि0 श्री अमित कुमार शर्मा थाना खड्डा जनपद कुशीनगर
4. उ0नि0 श्री आनन्द शंकर सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
5. का0 फिरोज खान थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
6. का0 नरेन्द्र यादव थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
7. का0 अंकुर सिंह थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर
8. का0 विजय चौधरी साईबर सेल जनपद कुशीनगर
9. का0 प्रशान्त कुमार मिश्रा साईबर सेल जनपद कुशीनगर
10. का0 अमित कुमार गुप्ता साईबर सेल जनपद कुशीनगर
11. का0 अरूण कुमार थाना खड्डा जनपद कुशीनगर

थाना तरयासुजान पुलिस टीम द्वारा एक अदद लग्जरी वाहन से तस्करी कर ले जायी जा रही 26 पेटी देशी शराब (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 8,60,000/- रुपये) किया गया बरामद-

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री धवल जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री रितेश कुमार सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जितेन्द्र सिंह कालरा के नेतृत्व में दिनांक 15.01.2023 को थाना तरया सुजान पुलिस टीम द्वारा ग्रामीणो की सूचना पर दनियाडी ग्राम से आगे धर्मकाटा के पास दुर्घटना ग्रस्त हुई 01 अदद कार महिन्द्रा कम्पनी वाहन संख्या DL 4CNA 3961 से तस्करी ले जायी जा रही 26 पेटी कुल 1167 पाउच टेट्रा पैक देशी शराब बंटी बबली (वाहन सहित कुल कीमत लगभग 8,60,000/- रुपये) प्रत्येक पाउच मात्रा 200 मिली0 कुल मात्रा 233.4 लीटर की बरामदगी की गयी। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 09/2023 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 09/2023 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम

बरामदगी का विवरण-

- 1- एक अदद महिन्द्रा कार वाहन संख्या DL 4CNA 3961(कीमत लगभग 8,00,000/- रुपये)
- 2- 26 पेटी कुल1167 पाउच टेट्रा पैक देशी शराब बंटी बबली प्रत्येक पाउच 200 मिली0 कुल मात्रा 233.4 लीटर (कीमत लगभग 60,000/- रुपये)

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 राजेन्द्र कुमार सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 विपिन सिंह थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
3. हे0का0 इन्दल चौहान थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
4. का0 रिषु यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर
5. का0 राहुल यादव थाना तरया सुजान जनपद कुशीनगर

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 22 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी ।

कार्यवाही एक नजर में =

- 1.मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-19 वाहन 2.107/116 में की गयी कार्यवाही-मु0-30, व्यक्ति-107
- 3-वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(04)
- 4.जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-26)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर

